

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर रीवा जिले के अन्तर्गत वन मण्डल, रीवा के पश्चिमे सिमौर के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 112 की वनभूमि जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 13.1959 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक, मार्शल स्माल हाइड्रो पावर प्रायवेट लिमिटेड, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: 02.2020

स्थान: भोपाल


 (एच.एस. मोहन्ता)
 मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
 सचिव

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)